उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः– 705/VIII–1/2021–58(श्रम)/2013

देहरादून, दिनांकः 03 जुलाई, 2021।

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड की श्रम (तकनीकी) सेवा में कारखाना/बॉयलर के पदों पर नियुक्त कार्मिकों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड श्रम (तकनीकी) सेवा नियमावली, 2021

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड श्रम (तकनीकी) सेवा नियमावली, 2021 है।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड श्रम (तकनीकी) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" और "ख" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से "राज्यपाल" अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत के संविधान" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) "आयोग" से उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(छ) "श्रम आयुक्त" से श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली या इससे पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड श्रम (तकनीकी) सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; तथा

394
10-8-2021

(ट) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के माह जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2– संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये उतनी होगी जो "**परिशिष्ट–क**" में दी गयी है, परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) **संयुक्त निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड** – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशक कारखाना/बॉयलर जिन्होंने इस रूप में चयन वर्ष की प्रथम तिथि को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) **उप निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड** – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर जिन्होंने इस रूप में चयन वर्ष की प्रथम तिथि को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) **सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड** – शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिये।

अधिमानी अर्हता

9 अभ्यर्थी जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित की जाती है, उस वर्ष की पहली जुलाई को समय–समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नही होना चाहिए;

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाए।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा;

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियत्रंणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पति हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि, पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5—भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम 6 के अधीन उत्तराखड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा, आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी—प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिये चयन प्रक्रिया

नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के अनुसार की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्टि अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझें तो व्यक्ति का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता क्रम, जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, में चयनित व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि किसी वर्ष में नियुक्त सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17 यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम–17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम–17 में निर्दिष्टि चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहां पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहां उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;

परन्तु यह कि, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. (1) परीवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परीवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करने का आदेश की सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. (1) एतद्पश्चात की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा।

भाग 7–वेतन आदि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "ख" के अनुसार होंगे:

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर, समयमान में पृथक वेतनवृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी;

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत् सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8—अन्य प्रावधान

अधियाचन

24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के आयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तो का शिथिलीकरण

26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन में किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे;

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

डा0 हरबंस सिंह चुघ
सचिव।

संख्या:– 765/VIII-1/2021–58(श्रम)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. श्रम आयुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. मुख्य बॉयलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए गजट की 100 प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को इस आशय से प्रेषित की उक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव।

परिशिष्ट–'क'

{नियम 4(2)}

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	संयुक्त निदेशक, कारखाना / ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड	—	1	1
2.	उप निदेशक कारखाना / ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड	1	—	1
3.	सहायक निदेशक कारखाना / ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड	1	4	5

परिशिष्ट–'ख'

{नियम 22(2)}

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान	वेतन स्तर
1.	संयुक्त निदेशक, कारखाना / ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड	₹ 78800–209200	12
2.	उप निदेशक, कारखाना / ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड	₹ 67700–208700	11
3.	सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड	₹ 56100–177500	10

आज्ञा से,

(डा० हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।